रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35) नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1972/माघ 4, 1893
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1972/MAGHA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th January 1972

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts compounded lubricating oils and greases, falling under Item No. 11-B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 13 per cent *ad valorem*:

Provided that a manufacturer availing of the benefit of the exemption under this notification shall not permitted, in respect of such compounded lubricating oils and greases, to avail of the special procedure prescribed under rule 56-A of the Central Excise Rules and shall also not be eligible to utilise the credit standing in the Entry Book of proforma credit, in form R.G. 23, Part II, prescribed under the said rule.

[No. 15/72—No. F. 89/15/71-CX-3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 56(अ०)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 29 मई, 1971 की अधिसूचना सं० 91/71—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11—ख के अन्तर्गत आने वाले मिश्रित स्नेहक-तेल और ग्रीजों को, उन पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 13 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा उठाने वाले किसी विनिर्माता को, ऐसे मिश्रित स्नेहक-तेल और ग्रीजों की बाबत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के नियम 56क के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और वह उक्त नियम के अधीन विहित प्ररूप आर० जी—23 भाग 2 में, प्रोफोर्मा क्रेडिट की प्रविष्टि-पुस्तक में की जमा का उपयोग करने के लिए भी पात्र नहीं होगा ।

[सं० 15/72—फा० सं० 89/15/71—सी० एक्स०—3]

पी० आर० कृष्णन,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972